

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :- जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :- 43/2019

छाजूराम पुत्र गोपीराम उर्फ रामगोपाल जाति ब्रह्मण उम्र 82 वर्ष लगभग निवासी ग्राम बाडीजोडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
2. नायब तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
3. पटवारी हल्का क्षेत्र बाडी जोडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

प्रत्यार्थीगण

अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 04/9/2018 द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर उनवानी प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का बनाम छाजूराम मु.नं. 23/2018 प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 मू० राजस्व अधिनियम 1956 । उक्त आदेश द्वारा अपीलार्थी को मौके से बेदखल कर शास्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश हुए एवं अब जरिये पुलिस इमदाद अतिक्रमण हटाने के आदेश हुये है।


निर्णय

दिनांक 30.7.2021

अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील नायब तहसीलदार शाहपुरा द्वारा धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 04/9/2018 मु.नं. 23/2018 ब उनवान पटवारी हल्का बनाम छाजूराम. के विरुद्ध अपील पेश की है जिसमें वर्णित तथ्य निम्नभांति पेश किये हैं :-

पटवारी हल्का बाडी जोडी ने एक रिपोर्ट अपीलार्थी के विरुद्ध तहसीलदार तहसील शाहपुरा के समक्ष पेश किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार शाहपुरा ने धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को नोटिस जारी किया जाकर तलब हेतु 22/8/2018 को पेश होने के आदेश दिये गये। उक्त तारीख पर गैर सायल की अनुपस्थित दर्ज कर आगामी तारीख पेशी 04/9/2018 नियत की गयी। उक्त दिनांक को न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील शाहपुरा ने प्रश्नगत निर्णय पारित करते हुये मौके से बेदखल किये जाने के आदेश एवं दो रूपये शास्ति आरोपित किये जाने के आदेश हुए। उक्त पारित आदेश के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी तथा अब जानकारी होने पर उक्त निर्णय/आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी जरिये वकील निम्न आधारों पर अपील पेश की है :-

1. यह है कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय 04/9/2018 वास्तविक तथ्यों के विपरीत एवं विधि विरुद्ध होने के कारण अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश प्राकृतिक न्याय के सर्वोपरी सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यह है कि प्राकृतिक न्याय का सर्वोपरी सिद्धान्त यह है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जानी है उस व्यक्ति को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किया जावे तदपश्चात् विधि अनुरूप अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावे। प्रश्नगत निर्णय प्रकरण में धारा 91 के अन्तर्गत गैर सायल के विरुद्ध नोटिस दिनांक 13/8/2018 को जारी किया गया, जारी किया गया उक्त नोटिस अपीलार्थी/अपीलार्थी को कभी नहीं मिला। न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/गैर सायल की तामील चर्या होने से मान ली गयी और उसके बाद प्रश्नगत निर्णय/आदेश पारित कर दिया गया। तामील कृनिन्दा ने नियमों को ताक में रख कर कार्यवाही की है जबकि विधि अनुरूप नोटिस की तामील गैर सायल/अपीलार्थी पर होनी चाहिए थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तामील पर ठीक से विचार किये बिना नोटिस तामील मान लिया गया जबकि वास्तव में गैर सायल/अपीलार्थी को प्रकरण में दिनांक 22/8/2018 को सुनवायी के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी एवं प्रश्नगत


आ. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

आदेश/निर्णय अपीलार्थी/अप्रार्थी को बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किये पारित किया है जो अपील में अपास्त किये जाने योग्य है।

4. यह है कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्राथमिक आधार पटवारी हल्का की रिपोर्ट है। उक्त रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का ने कब तैयार की किस की उपस्थिति में तैयार की तथा कब न्यायालय में पेश की तथा उक्त रिपोर्ट के संलग्न नक्शा भी नहीं है, जिससे स्पष्ट होता हो कि ख.नं. 124 रकबा 0.59 हैक्टर के किस भाग में अतिक्रमण है जो मौके की स्थिति को स्पष्ट करता हो इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट कानूनन विधिक श्रेणी में नहीं आती है। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट बन्द कमरे में तैयार की गयी रिपोर्ट की श्रेणी में आती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास कर निर्णय/आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।
5. यह है कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि उक्त रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा के समक्ष पेश की है, जबकि उक्त प्रकरण की कार्यवाही न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा की गयी है एवं सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा नायब तहसीलदार को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि उनके समक्ष हल्का पटवारी बाडीजोडी ने अतिक्रमण अपीलार्थी के विरुद्ध पेश की है एवं आप उक्त रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करें। इस प्रकार प्रश्नगत निर्णय/आदेश विधिवत नहीं होने के कारण अपील में अपास्त किये जाने योग्य है।
6. यह है कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निर्णय एक छपा छपाया प्रफोर्मा है, जिसकी रिक्त स्थानों की पूर्ती की गयी है। उक्त पारित किया गया निर्णय एक न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है एवं माननीय न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक चित का प्रयोग किये बिना ही निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत निर्णय/आदेश अपील में अपास्त किये जाने योग्य है।
7. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का की जांच से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होना प्रमाणित है। पत्रावली का अवलोकन करने से पत्रावली पर गिरदावर हल्का की कोई जांच रिपोर्ट नहीं है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किये बिना ही प्रश्नगत निर्णय/आदेश सरसरी तौर पर पारित किया है जो अपील में अपास्त किये जाने योग्य है।
8. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश अपने आप में मनमान मन मौजी निर्णय है जो विधि अनुकूल नहीं होने से एक प्राकृतिक न्याय के सर्वोपरी सिद्धान्त के विपरीत होने से एवं एक पक्षीय होने से किसी भी दृष्टिकोण से न्याय के परिभाषा में आ वाला नहीं है। इसलिए प्रश्नगत निर्णय/आदेश/अपील में अपास्त किये जाने योग्य है।
9. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/अप्रार्थी का बिना जांच किये ही अतिक्रमण मानकर अहम भूल की है मौके पर जिस ख.नं.124 के सम्बन्ध में अप्रार्थी को अतिक्रमण बत गया है दरअसल उक्त खसरा नम्बर 124 में लम्बे समय से मौके पर कोई रास्ता भौतिक से नहीं रहा है बल्कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि से लगती हुयी अपीलार्थी की व उ परिवारजनों की खातेदारी की भूमि है जिस पर अपीलार्थी/अन्य हकदार लोग काबिज रह उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। यदि प्रशासन द्वारा अपीलार्थी की मौजूदगी में मौके देखा जाता एवं अपीलार्थी को सुनवायी हेतु समुचित अवसर दिया जाता तो विधिवत रूप उपरोक्त तथ्य एवं अन्य सुसंगत तथ्य अपीलार्थी द्वारा प्रमाण सहित रखे जाते परन्तु अनुसार कार्यवाही नहीं हुयी एवं अपीलार्थी को विधिवत सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया जिस कारण इस प्रकार की स्थिति बनी उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए अपीलार्थी अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 04/9/2018 एवं वर्तमान में की जा रही कार्यवाही को अपास्त फरमाया जावे।
10. यह है कि अपीलार्थी को अधिनस्थ निर्णय में दिनांक 22/8/2018 के सम्बन्ध में प्रश्नगत निर्णय/आदेश के सम्बन्ध में पहले कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 20/8/2018 को गांव बाडी जोडी में यह सुनने में आयी कि पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अपीलार्थी सायल का निर्माण तोड़ने/फोड़ने आ रहे है। इस सम्बन्ध में तहसील परिसर में आकर परिचित अधिवक्ता से मिला अधिवक्ता ने सम्बन्धित प्रकरण की प्रतिलिपि प्राप्त करने आवेदन किया जो दिनांक 22/8/2019 को पत्रावली की सम्पूर्ण नकल प्राप्त कर वास्तविक जानकारी हुयी, जो जानकारी होने की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश है देशी

अति. जिला
कोटपतली (जयपुर)

किये जाने के लिए पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

11. यह है कि अपील का श्रीमान् न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है जो निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत/निर्णय/आदेश दिनांक 04/9/2018 एवं उसके पश्चात् वर्तमान में की जा रही कार्यवाही को अपास्त करने की कार्यवाही करें। प्रकरण तहसीलदार शाहपुरा को रिमाण्ड करते हुये आदेशित किया जावे कि अपीलार्थी/अप्रार्थी को विधिवत रूप से सुनवायी का समुचित अवसर देते हुए अपीलार्थी को मौजूदगी में मौका निरीक्षण करके नाप-जोख कर विधिवत जांच कर सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करके तत्पश्चात् विधि अनुकूल निर्णय पारित करें।
12. अपीलान्त द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट मंगवाने हेतु आदेशित किया गया।
13. पैरोकार सरकार उपस्थित होकर तहसीलदार शाहपुरा से जारी पत्रांक 289 दिनांक 22/01/2021 के द्वारा मुताबिक पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण यथावत होना बताया गया पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 05/02/2021 को नियत की गयी।
14. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया कि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट कब तैयार की तथा किस की उपस्थिति में तैयार की कब न्यायालय में पेश की जिससे यह स्पष्ट हो कि आ0ख0नं0 124 रकबा 0.59 हैक्टर के किस भाग में अतिक्रमण है। पटवारी हल्का द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट कानून की विधिक श्रेणी में नहीं आती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट का विश्वास कर तहसीलदार शाहपुरा के समक्ष प्रस्तुत की है जबकि उक्त प्रकरण में कार्यवाही नायब तहसीलदार शाहपुरा द्वारा की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से तहसीलदार द्वारा नायब तहसीलदार शाहपुरा द्वारा नायब तहसीलदार को कार्यवाही करने का कोई आदेश जारी नहीं किये। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपीलार्थी/गैर सायल के विरुद्ध दिनांक 13/8/2018 को नोटिस जारी किये, जारी तल्बी नोटिस अपीलार्थी/गैर सायल को कभी नहीं मिले पत्रावली के अवलोकन से जारी नोटिसों पर तामील चशपादगी से हुयी है। तामील कुनिन्दा ने नियमों को ताक में रखकर कार्यवाही की है। उक्त तामील पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा टीक ये विचार किये बिना नोटिस तामील मान लिया गया। अपीलार्थी को सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 04/9/2018 को निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुये गैर सायल को मौके से बेदखल किये जाने तथा दो रूपये शास्ति आरोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये जबकि प्राकृतिक न्याय का सर्वोपरी सिद्धान्त है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही होनी है उस व्यक्ति को सुनवायी का अवसर समुचित प्रदान किया जावे। पत्रावली के अवलोकन से ना ही गिरदावर की जांच रिपोर्ट है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/गैर सायल द्वारा अतिक्रमण बाबत बिना जांच किये आ0ख0नं0 124 के सम्बन्ध में अप्रार्थी/गैर सायल को अतिक्रमणी बताया है। दरअसल आराजी ख0नं0 124 वाके ग्राम बाडीजोडी तहसील शाहपुरा में लम्बे समय से मौके पर कोई रास्ता भौतिक रूप से नहीं रहा है बल्कि ख0नं0 124 से लगती हुयी भूमि अपीलार्थी की व अन्य परिवारजनों की खातेदारी की भूमि है जिस पर काबिज रहकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश विधि अनुरूप नहीं होने से एवं प्राकृतिक न्याय के सर्वोपरी सिद्धान्तों के विपरीत होने से एवं एक पक्षीय होने से किसी दृष्टिकोण से न्याय की परिभाषा में आने वाला नहीं है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुये अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 04/9/2018 एवं वर्तमान में की जा रही कार्यवाही को अपास्त फरमावे।
15. बहस पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार शाहपुरा की सुनी गयी। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि पटवारी हल्का बाडीजोडी द्वारा धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही कराने बाबत रिपोर्ट ग्राम बाडीजोडी के आ0ख0नं0 124 रकबा 0.59 हैक्टर किस्म गै0मु0 रास्ता में से 0.01 हैक्टर भूमि पर डोल लगाकर अवैध अतिक्रमण गैर सायल/अपीलार्थी के विरुद्ध रिपोर्ट पेश की गयी थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक 04/9/2018 को निर्णय पारित कर मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने एवं शास्ति आरोपित की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश विधि अनुरूप पारित किया गया है। अतिक्रमण बाबत पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गयी तो पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी गैर सायल का मौका पर अतिक्रमण यथावत होना बताया है। अतः अपीलार्थी/गैर सायल द्वारा गै.मु. रास्त की भूमि

जिला जज
कोटपतली (नवपुरा)

पर अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण मौके से नहीं हटाया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमावें।

16. बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों तथा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तो पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956 के तहत कार्यवाही कर प्रकरण संख्या 23/2018 में दिनांक 04/9/2018 को निर्णय पारित कर मौके से बेदखली तथा दो रूपये शारित आरोपित किये जाने के निर्णय/आदेश पारित किये जाने पाया गया। वकील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत बहस में जाहिर किया है कि आ0ख0न0 124 रकबा 0.59 हैक्टर किस्म गैर0मु0 रास्ते में से 0.01 हैक्टर भूमि पर अपीलार्थी का अवैध रूप से अतिक्रमण बताया है। इस बाबत पटवारी हल्का ने रिपोर्ट तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है, जो केवल कयास के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है, जो उक्त गलत एवं मनतथ्यों के आधार पर तैयार की गयी रिपोर्ट को न्यायालय द्वारा विश्वास कर अपीलार्थी/गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही कर निर्णय/आदेश दिनांक 04/9/2018 को पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तामील नोटिसों की ठीक से जांच किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया जबकि न्याय क सर्वोपरी सिद्धान्त यह है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही होनी है उसको सुनवायी क समुचित अवसर प्रदान किया जावें। उक्त आराजी ख.नं. 124 वाके ग्राम बासडी तहसील शाहपुरा में लम्बे अर्से से मौके पर कोई रास्ता भौतिक रूप से नहीं रहा है बल्कि उक्त खसरा नम्बर के लगती हुयी भूमि अपीलार्थी एवं उनके परिवारजनों की खातेदारी भूमि है जिन् परकाबिज रहकर उपभोग उपभोग करते चले आ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश किसी भी दृष्टिकोण में न्याय संगत नहीं है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मु0न0 23/2018 ब उनवान सरकार बनाम छाजूराम निर्णय दिनांक 04/9/2018 को अपास्त किया जावें तथा अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमावें। प्रकरण में पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि अपीलार्थी का मौके पर आज भी अतिक्रमण है। इसलिए अपीलान्त की अपील खारिज फरमावें।

- चूँकि प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन करने एवं उभय पक्षों की बहस सुनने पर धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने की कार्यवाही बाबत तथ्य सामने आये । नायब तहसीलदार शाहपुरा द्वारा दिनांक 04/9/2018 को अपीलार्थी/गैर सायल के विरुद्ध मु0न0 23/2018 सरकार बनाम छाजूराम निर्णय/आदेश पारित कर मौके से बेदखली एवं दो रूपये पैनल्टी के आदेश पारित हो पाया गया। आ0ख0न0 124 वाके ग्राम बाडीजोडी के मौके की जांच किये बिना पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04/9/2018 को निर्णय पारित कर दिया जबकि मौके पर वर्तमान में उक्त आ0ख0न0 124 गै0मु0 रास्ते में भौतिक रूप से नहीं रहा है बल्कि उक्त खसरा नम्बर से लगती हुयी भूमि में अपीलार्थी उनके परिवारजनों द्वारा उपयोग उपभोग में ली जा रही है तथा उक्त खातेदारी भूमि में मौके पर रास्ता बना हुआ है जिस पर बिना किसी रुकावट के आवागमन निरंतर हो रहा वर्तमान मौके अनुसार आ0ख0न0 124 किस्म गै0मु0 रास्ता भौतिक रूप से नहीं है। पटवारी हल्का ने बिना नाप-जोख किये बिना पक्षकारों की उपस्थिति के मात्र कयास के आधार रिपोर्ट तैयार की है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट का विश्वास कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील स्वीकार किया न्यायोचित एवं विधि संगत है।
17. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार शाहपुरा द्वारा मु.नं. 23/2018 ब उनवान सरकार बनाम छाजूराम अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956 के अन्तर्गत पारित निर्णय 04/9/2018 को अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहरीर के तहसीलदार शाहपुरा को भिजवायी जावें। पत्रावली फैंसलशुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हों।
18. निर्णय आज दिनांक 30.7.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्याय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटपूतली (अ.प्र.)